

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1677]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 1677]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2632(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 2009 की सं. का.आ. 1606(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

अलीगंज (जोरबाग), नई दिल्ली, जोन डी में आने वाला 9000 वर्ग मीटर (7.2 है. शेष भूमि से अलग किया हुआ क्षेत्र) के माप वाले निम्न भू क्षेत्र का उपयोग नीचे दिए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
1	2	3	4	5
जोन 'डी' में अलीगंज (जोरबाग)	9000 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय	पूर्व —एन डी एम सी, टाईप-I क्वार्टर और एन डी एम सी सामुदायिक हॉल और 15 मी. मार्गाधिकार की प्रस्तावित सड़क (पी पी आर ए तक सम्पर्क सड़क) पश्चिम—डी डी ए फ्लैट्स, जोरबाग और बी के दत्त कॉलोनी और 12 मी. मार्गाधिकार सम्पर्क सड़क

उत्तर— 24 मा. मोगाधिकार और लोधी कॉलोनी
दक्षिण— अलीगंज की जी पी आर ए कालोनी (टाईप-IV
स्पेशल, और टाईप-V के रूप में विकास हेतु
निर्धारित मौजूदा टाईप-I क्वार्टर)

[सं. के-13011/7/2009-डीडीआईबी]

पी. के. सांत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

S.O. 2632(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1606(E), dated 1st July, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification

The land use of the following area measuring 9000 sq. m. (carved out of 7.2 ha. of land of remaining area) at Aliganj (Jorbagh), New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Aliganj (Jorbagh) in Zone-D	9000 sq. m.	Residential	Government Office	East — NDMC, Type-I Quarters and NDMC Community Hall and proposed road of 15 mtrs. ROW (Approach road to GPRA) West — DDA Flats, Jorbagh and B.K. Dutt Colony and 12 mtrs. ROW approach road North — 24 mtrs. ROW and Lodhi Colony South — GPRA Colony of Aliganj (existing Type-I quarters scheduled for redevelopment as Type-IV Spl. and Type-V)

[No. K-13011/7/2009-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.